30/11/22 वकील अपीलार्थी अ०1 वकील अपीलार्थी ने अवगत कराया कि अपीलार्थी अ०1 का 6 को हो चुकी है। इस संबंध के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में नहीं चलने का एवं अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब वकील अपीलार्थी को हिदायत दी जाती है कि वे अपने वांछित अनुतोष के सम्बन्ध में अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर सकते हैं। प्रार्थना T I स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुदा होने पर वे दाखिल रहे।

2 लगातार 6 भी पूर्व में ही मृत्यु हो चुकी है
30-11-22

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जि.-जयपुर) राज.